



# पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SALOH

तहसील-हरोली, जिला-ऊना (हिमाचल-प्रदेश)-177209

Tehsil-Haroli, Distt.-Una (Himachal Pradesh)-177209

दूरभाष नं./ Contact No.-01975-292777



वेबसाइट/Website: - <https://santokhgarhsaloh.kvs.ac.in> ई-मेल/ E-mail: kendriyavidyalayasaloh@gmail.com

CBSE Affi. No.600025, CBSE School Code-44841, KV Code-2296 & U-DISE No.02070103909

संदर्भ- फा.सं.-46/के.वि. सलोह/2026-27/

दिनांक:- 29-06-2026

## निविदा/बोली दस्तावेज

**विषय: सेवा अनुबंध के माध्यम से कैटीन किराये हेतु तथा खानपान सेवा (Catering Service) आपूर्ति हेतु बोली का आमंत्रण।**

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह (हिमाचल प्रदेश), केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रशासित एक नागरिक क्षेत्र का विद्यालय है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय पूर्णवित्त पोषित स्वायत्तशासी निकाय है। संगठन केन्द्रीय विद्यालय की योजना को स्थानांतरणीय केंद्र सरकार/परियोजनाओं/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासित करता है।

1. पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह द्वारा एक साल की अवधि के लिए सेवा अनुबंध के माध्यम से विद्यालय में कैटीन सेवा प्रदान करने हेतु बोलियों को आमंत्रित किया गया है।
2. अनुबंध, अनुबंध की तिथि से प्रारम्भ के एक वर्ष तक वैध रहेगा तथा इसके पश्चात आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. विद्यालय में कैटीन संचालन हेतु ठेकेदार के पास वैध भोजन की व्यवस्था या आवश्यक अनुज्ञा-पत्र या अनुमति (मंजूरी) पत्र होना आवश्यक है।
4. मूल्य-सूची इस अनुबंध के साथ संलग्न की जाएगी जो कि एक वर्ष के लिए वैध होगी। विद्यालय में कैटीन हेतु ठेकेदार उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जिन वस्तुओं को प्राचार्य/प्राचार्या, पीएम श्री के.वि. सलोह अनुमोदित करेंगे।
5. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम राशि के रूप में कैटीन हेतु कैटीन किराया Rs.1500/- प्रतिमाह देय होगा तथा बिजली और पानी का बिल कैटीन किराये से अलग ठेकेदार द्वारा जमा करना होगा।
6. सभी भोज्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
7. कैटीन हेतु भवन विद्यालय द्वारा किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। कैटीन के उचित संचालन एवं संरक्षण हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा। उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु वह किसी प्रतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
8. खराब खाने के कारण हुई विमारी (Food Poisoning)/ संदूषण होने कि स्थिति में ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेवार होगा तथा वह (Food Poisoning)/ संदूषण पर होने वाले खर्च को वहन करेगा।
9. कार्य क्षमता को बनाए रखने हेतु ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को बहाल करेगा।
10. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारी ठेकेदार के स्वयं के कर्मचारी होंगे तथा वे कर्मचारी प्राचार्य, पीएम श्री के.वि. सलोह से किसी भी प्रकार की सुविधा की मांग नहीं करेंगे। कर्मचारियों के सामान्य व्यवहार एवं शालीन आचरण के संबंध में प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। कैटीन कर्मचारियों को वेतन भत्ते ठेकेदार द्वारा दिये जायेंगे। इसके लिए विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह  
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Saloh-177209

लगातार पेज सं.2.....



Scanned with OKEN Scanner

11. सामान्य स्वास्थ्य के संदर्भ में ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों जो किसी संक्रामक विमारी से ग्रस्त न हो का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अनुमोदित पंजीकृत चिकित्सक जो कि भारतीय चिकित्सीय परिषद से मान्यता प्राप्त हो, से कराकर ही कार्य पर लगाएगा।
12. कैटीन परिसर एवं रसोई में बर्तन, उपस्कर आदि की सफाई की पूरी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सफाई हेतु सफाई उपकरण जैसे डस्टर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे।
13. ठेकेदार द्वारा कैटीन कक्ष, रसोई एवं संबंध सेवाओं में स्वच्छता एवं सफाई के ऊँचे स्तर का अनुपालन किया जाएगा तथा अपशिष्ट एवं कूड़ा-कचरा के आवधिक निस्तारण के लिए ठेकेदार एवं उनके कर्मचारी ज़िम्मेवार होंगे।
14. कैटीन सभी विद्यालयी कार्य दिवस पर भोजन व्यवस्था हेतु खुली रहेगी।
15. कैटीन इंचार्ज/ ठेकेदार, प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई भी सामान विद्यालय परिसर से बाहर नहीं लेकर जाएगा। यदि आपूर्ति किए जाने वाले अनुमोदित सामग्री की आपूर्ति करने में ठेकेदार विफल रहता है, तो उस स्थिति में विद्यालय प्रशासन ठेकेदार की जोखिम एवं व्यय पर उस सामग्रियों की व्यवस्था करेगा।
16. बीमा नियम के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय में ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों का बीमा ठेकेदार द्वारा करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्टाफ बिना नियम, कामगार क्षतिपूर्ति नियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन फंड नियम - 1952 तथा अन्य नियम जो इन पर लागू होते हैं, ठेकेदार पर भारित होंगे। इसमें विद्यालय किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
17. ठेकेदार के द्वारा कैटीन में लगाए गए सभी कर्मचारियों की सूची पीएम श्री के.वि. सलोह को मुहैया कराई जाएगी और इसमें कोई बदलाव होने पर इसकी सूचना विद्यालय को दी जाएगी।
18. पीएम श्री के.वि. सलोह में ठेकेदार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के आरक्षी सत्यापित दस्तावेज़ ठेकेदार द्वारा नियुक्ति के 15 दिनों के अंदर विद्यालय में जमा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर ऐसे कर्मचारियों को विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ठेकेदार द्वारा उसे अविलंब हटाकर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना होगा जिसका आरक्षी सत्यापन पूर्ण हो चुका हो।
19. पीएम श्री के.वि. सलोह को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी समय कैटीन कर्मचारियों के विद्यालय परिसर से बाहर जाते समय उनकी तलाशी ले सके। इसमें न तो ठेकेदार को और न ही कर्मचारी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए पीएम श्री के.वि. सलोह द्वारा अनुमोदित प्रारूप में पहचान पत्र जारी करेंगे।
20. पीएम श्री के.वि. सलोह द्वारा नामित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कैटीन में पके व बिना पके खाद्य-सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच हेतु कैटीन से नमूना ले सकता है। यह नमूना केवल अधिकृत व्यक्ति ही ले सकता है।
21. पीएम श्री के.वि. सलोह द्वारा कैटीन की कार्य प्रणाली, स्वच्छता एवं संबन्धित सेवाओं की जाँच (देखरेख) के लिए कैटीन प्रबन्धक समिति का गठन किया जाएगा। कैटीन के रख-रखाव के संबंध में समिति द्वारा दिये गए निर्देशों के बार-बार उल्लंघन की स्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष / सचिव को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ऊपर 5000/- रुपये तक का जुर्माना कर सकेगा जो ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा जमा राशि से काट लिया जाएगा।
22. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैटीन परिसर में कोई भी खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला पदार्थ नहीं रखा गया है। बोलीदाता इन दस्तावेजों के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में शून्य/- रुपए का डी.डी. जमा करेगा जो कि संविदा की समाप्ति पर उसे लौटाया जाएगा। सफल बोलीदाता जिसको संविदा प्रदान की जायेगी उसे रुपये 20000/- (बीस हजार मात्र) निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।
23. ठेकेदार प्रबंधन द्वारा दिये गए लाइसेन्स को किसी और को नहीं देगा तथा प्रबंधन द्वारा दिये गए स्थान का उपयोग केवल कैटीन चलाने के उद्देश्य से ही करेगा और उसके किसी भी हिस्से में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा। ठेकेदार केवल कैटीन के लिए आवश्यक सामग्री ही रखेगा। वह कैटीन की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
24. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने की स्थिति में ठेकेदार उत्तरदायी होगा और नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा यदि यह क्षति रोजाना उपयोग या दैवीय प्रकोप का कारण होने पर होती है, तो वह ज़िम्मेदार नहीं होगा।



प्राचार्य/Principal

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Saloh-177209

लगातार पेज सं.3.....



25. पीएम श्री के.वि. सलोह, ठेकेदार द्वारा कैटीन में रखे गए सामान के नुकसान एवं क्षति के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।
  26. अनुबंध टूटने की स्थिति में ठेकेदार की तरफ से लिखित में दो महीने की पूर्व सूचना दी जाएगी। लाइसेंस अवधि की समाप्ति या उससे पहले पीएम श्री के.वि. सलोह के द्वारा कहे जाने पर ठेकेदार को शांतिपूर्वक कैटीन परिसर खाली करना होगा और ठेकेदार विद्यालय द्वारा प्रदत्त उपस्कर व अन्य सामग्री वापस करेगा। साथ ही ठेकेदार द्वारा लगाए गए उपस्कर व अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
  27. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में पीएम श्री के.वि. सलोह के प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
  28. ठेकेदार को सिर्फ पीएम श्री के.वि. सलोह में कैटीन चलाने के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी इसके अलावा ठेकेदार को परिसर के इस्तेमाल का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
  29. ठेकेदार कैटीन में उपयोग की जाने वाले बर्तन, गैस-स्टोव तथा अन्य उपकरणों आदि का प्रबंध स्वयं करेगा।
  30. ठेकेदार को अन्य कार्यालयों/संस्थाओं/संगठनों में कैटीन चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
  31. ठेकेदार को उन संस्थाओं की सूची जहां उसने कैटीन चलाई है की सूची अपलोड करनी होगी।
  32. कैटीन में पैक सामग्री प्रिंट रेट से अधिक में नहीं बेची जाएगी।
  33. ठेकेदार अपने फ़र्म का पैन नंबर पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह में जमा करवाएगा। बिना पैन नंबर के किसी भी तरह का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा और सभी प्रकार का कर उनके भुगतान से काट लिया जाएगा।
  34. निम्नलिखित दस्तावेज बोली के साथ अति आवश्यक रूप से संलग्न होने चाहिए:
    - i. पेन कार्ड की सत्यापति प्रतिलिपि।
    - ii. जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रतिलिपि।
    - iii. फूड लाइसेंस की प्रतिलिपि।
    - iv. अन्य कार्यालयों/संस्थाओं/संगठनों में कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र।
    - v. बोलीदाता का कार्यालय पता ऊना (हिमाचल प्रदेश) या इससे लगते जिलो की सीमा का ही होने पर उसे कैटीन के संचालन के लिए बोली में प्राथमिकता दी जाएगी।
- नोट : कैटीन का अनुबंध पुरे 1 वर्ष के लिए है अनुबंध समाप्त होने से पहले कैटीन बंद करने पर या छोड़ने पर धरोहर राशि वापिस नहीं होगी।

*नीलम गुलेरिया*  
(नीलम गुलेरिया)

प्राचार्य  
प्राचार्य/Principal  
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह  
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Saloh-177209